रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 19 मार्च, 2016 ई० (फाल्गुन 29, 1937 शक संवत्)

भाग 4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

### कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

विज्ञप्ति

18 मार्च, 2016 ई0

सं0 परिषद्-9/1103—सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या 385/15-7-2016-1(02)/2013, दिनांक 15 मार्च, 2016 द्वारा परिषद् विनियमों के अध्याय-बारह के विनियम-17(7) के क्रम 33 के बाद नवीन क्रम 34 एवं अध्याय-चौदह के विनियम-2 के क्रम 32 के बाद नवीन क्रम 33 को निम्नवत् जोड़े जाने की स्वीकृति इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16 की उप धारा (2) के अन्तर्गत प्रदान कर दी है –

अध्याय-बारह

| वर्तमान स्वरूप<br>विनियम-17(7) | संशोधित स्वरूप<br>विनियम–2 |
|---|---|
| क्रम 01 से 33 तक। | क्रम 01 से 33 तक यथावत्।<br>**क्रम–34**<br>ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद् की कक्षा-10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 (एस0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट (कक्षा-12) की परीक्षा के हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद् की इण्टरमीडिएट (कक्षा-12) के समकक्ष माना जायेगा।<br>नोट—आई0टी0आई0 के अतिरिक्त अन्य इण्टरमीडिएट (कक्षा-12) उत्तीर्ण परीक्षार्थी आई0टी0आई0 के समकक्ष नहीं माने जायेंगे। |

## अध्याय—चौदह

| वर्तमान स्वरूप<br>विनियम-2 | संशोधित स्वरूप<br>विनियम-2 |
|---|---|
| क्रम 01 से 32 तक। | क्रम 01 से 32 तक यथावत्।<br><br>**क्रम—33**<br><br>ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने कक्षा-8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश (एस0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा-10) की हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद् की हाईस्कूल (कक्षा-10) के समकक्ष माना जायेगा।<br><br>**नोट**—आई0टी0आई0 के अतिरिक्त अन्य हाईस्कूल (कक्षा-10) उत्तीर्ण परीक्षार्थी आई0टी0आई0 के समकक्ष नहीं माने जायेंगे। |

श्रीमती शैल यादव,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0—51 हिन्दी गजट—भाग 4—2016 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
पी0एस0यू0पी0—176 मा0शि0प0—19-03-2016—3,000 प्रतियां (मोनो/डी0टी0पी0/आफसेट)।